

Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

आदेश

उप कार्यालयों में कार्यरत निम्नलिखित अनुदेशकों की वर्ग अनुदेशक/शिक्षुता पर्यवेक्षक/वरिष्ठ तकनीकी सहायक/कनिष्ठ शिक्षुता एवं प्लेसमेंट अधिकारी के पद पर वेतनमान 9300-34800+4000 पे बैंड में आदेश पृ० क्रमांक टीई/99/24/पदोन्नति वर्ग अनुदेशक/प्रशासन-II/800 दिनांक 11.6.2014 द्वारा पदोन्नति की गई थी कि पोस्टिंग उनकी अपनी प्रार्थना पर उनके नामों के सम्मुख दर्शाए गए संस्थानों में तुरन्त प्रभाव से की जाती है:-

क्रमांक	कर्मचारी का नाम व पद संज्ञा	पदोन्नति उपरान्त जिस संस्थान में पोस्टिंग की गई	जिस संस्थान में अब पोस्टिंग की जाती है	रिमांरकस
1.	भीम सिंह, प्रारूपकार सिविल अनुदेशक, आई.टी.आई.महिला जीन्द।	रा0आई.टी.आई. महिला डुमरखा	रा0आई.टी.आई. जीन्द	रा0 आई.टी.आई. महिला डुमरखा में वर्ग अनुदेशक का पद स्वीकृत न होने के कारण उसकी अपनी प्रार्थना पर वर्ग अनुदेशक के रिक्त पद पर।
2.	श्री रमेश चन्द, फिटर अनुदेशक, आई.टी.आई. हांसी	रा0आई.टी.आई बालसमन्द	रा0आई.टी.आई तोशाम	अपनी प्रार्थना पर वर्ग अनुदेशक के रिक्त पद पर।
3.	सुरेश कुमार, रेडियो एण्ड टी.वी. अनुदेशक, आई.टी.आई. नरवाना	रा0आई.टी.आई कालका एट बितना	रा0आई.टी.आई नरवाना	अपनी प्रार्थना पर जे.ए. एण्ड पी.ओ. के रिक्त पद पर।
4.	सुरेन्द्र मोहन, ड्राईंग अनुदेशक, आई.टी.आई. कैथल।	रा0आई0टी0आई पबनावा एट कुरुक्षेत्र	रा0आई0टी0आई0 कैथल।	अपनी प्रार्थना पर वर्ग अनुदेशक के रिक्त पद पर।
5.	श्री राकेश कुमार भटेजा, फिटर अनुदेशक, आई.टी.आई. गुडगांव	रा0आई0टी0आई, फिरोजपुर झिरका	रा0आई0टी0आई0 बहादुरगढ	अपनी प्रार्थना पर जे.ए. एण्ड पी.ओ. के रिक्त पद पर।

उपरोक्त पदोन्नत किये गये कर्मचारी एक वर्ष के लिए प्रोबेशन अवधि पर होंगे यदि प्रोबेशन अवधि के दौरान उसका कार्य तथा आचरण असंतोषजनक पाया गया तो उन्हें बिना किसी नोटिस के उसके मुल पद पर पदअवन्नत कर दिया जायेगा।

उपरोक्त पदोन्नतियों, यदि कोई कर्मचारी वरिष्ठ पाया गया तो कनिष्ठ कर्मचारी का कलेम नहीं होगा की शर्त के साथ होगी। उक्त पदोन्नत कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिये जाते है कि जिस संस्थान में उनकी पोस्टिंग की गई है यदि उस संस्थान में उस व्यवसाय का कोई भी अनुदेशक नहीं है तो वह वर्ग अनुदेशक/ जे.ए.एण्ड पी.ओ. अपने कार्य के अतिरिक्त उस व्यवसाय के अनुदेशक का प्रबन्ध होने तक उस कक्षा को भी पढायेगा। यदि पदोन्नति में किसी स्तर पर कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे दूर कर दिया जायेगा। पदोन्नत कर्मचारी तुरन्त कार्यग्रहण करे।

दिनांक 19.6.2014

एस.के.गोयल, आई.ए.एस.
महा निदेशक,
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

पृ०क्रमांक टीई/99/24/पदोन्नति वर्ग अनुदेशक/Admn.II 822 दिनांक 19/6/2014
उपरोक्त कि एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सहायक/महा निदेशक।
2. अतिरिक्त निदेशक (तकनीकी)
3. संयुक्त निदेशक (प्रशासन-III व 4)